फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

देवेन्द्र अग्रवाल — विपक्षी — अमृतलाल

मुकदमा — वाद — पत्रावली संख्या — 52/21 — सन्

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	27.5.24 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी-1 अधिवक्ता उपस्थित। वादी द्वारा प्रा०पत्र 07 R11 का जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। पूर्व में जवाब हेतु अंतिम अवसर दिया जा चुका है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि वादी लम्बे समय से अनुपस्थित है। वादी अधि० को पूर्व में उपस्थित होने हेतु अंतिम अवसर दिया गया बावजूद उसके उपस्थित नहीं। न्यायालय द्वारा रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगवाई बावजूद उसके उपस्थित नहीं होने से जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाद चलाना नहीं चाहता है। अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी- अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रा०पत्र 07R11 बिना प्रतिकूल प्रभाव के निस्तारित किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.08.07 10:46:04 IST
Reason: SelfAttested

(रिया डाबी)

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर